

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) लूणकरनसर

निर्णय

मिसल नम्बर - 15 / 2019

दिनांक- 07/06/2019.

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 24.32.1 ने रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्वत् 2075 में गैर सायल 2वे मा 21 म पुत्र श्री 2.2.2.1.1 जाति मेधावली साकिन 21/5 ने ग्राम नरदा के ख0न0 120 रकबा 0.0.2.2.1.1 में नाजायज बाँड़ा/मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी 2वे मा 21 म को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधित गैर सायल अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में ईकतरफा कार्यवाही करते हुये संबधित गैर सायल 2वे मा 21 म पुत्र श्री 2.2.2.1.1 जाति मेधावली साकिन नरदा को ग्राम नरदा के ख0न0 130 रकबा 0.1.0.2.2.1.1 में अतिचार करने पर राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू-राजस्व दर 0.0.20 का 50 गुणा 0.0.20 रूपये शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली करने के आदेश दिये जाते है।

बेदखली बाबत संबधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/6/2019 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3
तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरनसर